

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

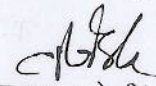
क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 4385-91

दिनांक:- 23 मई 2014

कार्यालय आदेश

श्री प्रहलाद शेखावत, खण्डीय लेखाकार (मेरिट नं. 498/88, लिंक नं. 4742) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड (शाहपुरा) जयपुर में कनि० लेखाकार के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्य प्रभार अग्रिम आदेशों/पदस्थापन होने तक सम्पादित करने के लिए तुरंत प्रभाव से अधिकृत एवं निर्देशित किया जाता है।

इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त कार्यभार देय होगा।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक,

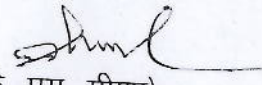
कोष एवं लेखा विभाग,

दिनांक:- 23 मई 2014

क्रमांक:- एफ. 3 (ख)() अलेसे-11/ 4385-91

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी कोष कार्यालय जयपुर शहर/जयपुर ग्रामीण, जयपुर।
2. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर
3. कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड (शाहपुरा) जयपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने तथा पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
5. श्री प्रहलाद शेखावत, खण्डीय लेखाकार (मेरिट नं. 498/88, लिंक नं. 4742) कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अतिरिक्त कार्यभार अविलम्ब ग्रहण कर अवगत करावें।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदय।
7. व्यक्तिगत पंजिका।
8. रक्षित पंजिका/आदेश पंजिका।


(के. एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)